उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1,

संख्या-63/2015/2678/92-1-2015-164आरई/2010,

दिनांक: लखनऊ: 16 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा की गयी अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2810/62-3-2010-164आरई/2010, दिनांक 23-11-2010 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की विभागीय जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्र संख्या-2101/ ग्रा0अ0वि0/अनु0 जॉच/श्री आर0के0 सिंह, प्र0अधि0अभि0/13-14 दिनांक 31-3-2014 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री रमाकान्त सिंह के विरूद्ध अधिरोपित कुल 08 आरोपों में से आरोप संख्या-1 एवं 7 पूर्ण रूप से तथा आरोप संख्या-3 आंशिक रूप से स्थापित पाये गये। अतएव उक्त सिद्ध पाये गये आरोपों के आलोक में तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-1629/92-2014-164आरई/2010, दिनांक 04-4-2014 द्वारा जॉच आख्या की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनके विरूद्ध स्थापित पाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके द्वारा पत्र दिनांक 27-05-2014 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

3- उपर्युक्त सिद्ध पाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मात्र जॉच अधिकारी के ऊपर दोषारोपण किया गया है और यह उल्लेख किया गया है कि अनुबंध गठन की कार्यवाही नियमानुसार सही प्रक्रियाओं, जिनमें कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी की संस्तुति के आधार पर की गयी है तथा उसका भुगतान भी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त की गयी है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों के सापेक्ष किसी प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य न प्रस्तुत करते हुए अनावश्यक तथ्यों का उल्लेख किया गया है और त्रुटिपूर्ण ढंग से प्राक्कलन में उल्लिखित व्यवस्था के विपरीत प्राप्त की गयी आपूर्ति के संबंध में कोई तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं स्थापित आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन व शासकीय क्षति के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26-6-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति स्पष्ट हुई कि श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों में से आरोप संख्या-1 एवं 3 प्रक्रियात्मक त्रुटि सम्बन्धी आरोप स्थापित हुए हैं, जिसके लिये प्रश्नगत दोनों आरोपों में शासकीय क्षति परिलक्षित नहीं होने के बावजूद भी अपचारी अधिकारी को प्रशासकीय दण्ड दिये जाने की स्थिति विद्यमान थी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किन्तु उनके पूर्व में ही सेवानिवृत्त हो जाने के आलोक में अब उन्हें कोई प्रशासकीय दण्ड प्रदत्त किये जा सकने की स्थिति विद्यमान नहीं रह गयी है।

उक्त के अतिरिक्त आरोप सं0-7 के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी के विरूद्ध यह आरोप है कि डा0 अम्बेडकर ग्राम समग्र विकास योजना पीसी 2007-08 के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी द्वारा बालू/ए0सी0आर0ए0 की आपूर्ति प्राप्त की गयी थी और इसके विरूद्ध माह फरवरी, 2008 में वाउचर संख्या-76 द्वारा रू0-19,33,136.00 एवं वाउचर संख्या-78 द्वारा रू0-18,84,412.00 का अवैध भुगतान ठेकेदार मै0 विजय लक्ष्मी कान्स्ट्रक्शन बसारतपुर, गोरखपुर को किया गया, जबकि उक्त वाउचर संख्या-76 एवं 78 मं अंकित मार्गो पर पीसी का कार्य होना था एवं इन मार्गों पर बालू/ए0सी0आर0ए0 की आपूर्ति प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं था और न ही प्राक्कलन में इसका कोई प्राविधान था। वाउचर संख्या-76 द्वारा रू0-19,33,136.00 एवं वाउचर संख्या-78 द्वारा रू0-18,84,412.00 का अवैध भुगतान कर शासन को क्षति पहुँचाये जाने के लिए अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया है। जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-7 सिद्ध पाया गया है और उक्त आरोप के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 26-6-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार अपचारी अधिकारी रू0-19,33,136.00 एवं रू0-18,84,412.00 अर्थात कुल धनराशि रू0-38,17,548.00 की शासकीय क्षति के लिए उत्तरदायी है।

5- उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्य पोषणीय न होने के कारण उसे अस्वीकार करते हुए प्रकरण में हुई कुल शासकीय क्षति रू0-38,17,548.00 की वसूली अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्तिक देयकों और सेवानिवृत्तिक देयकों से उक्त वसूली न हो पाने की दशा में सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपचारी अधिकारी श्री सिंह के विरूद्ध सिविल लायवेल्टी के रूप में उक्त शासकीय क्षति की वसूली करने का अनन्तिम दण्ड का विनिश्चय किया गया।

6- उपर्युक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड प्रस्ताव पर शासन के पत्र संख्या-2772/92-2014-164आरई/2010, दिनांक 04-7-2014 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की सहमति की अपेक्षा की गयी। श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता के विरूद्ध विभागीय जॉच से संबंधित अनेक प्रकरण लम्बित होने के दृष्टिगत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-100/7/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 12-9-2014 एवं पत्रसंख्या-100(1)/7/एडीसी/ एस-12/14-15, दिनांक 30-9-2014 के माध्यम से समेकित अर्थदण्ड का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के अनुक्रम में शासन के पत्र संख्या-5276/92-2014-164आरई/2010, दिनांक 24-12-2014 के माध्यम से श्री रमाकान्त सिंह के विरूद्ध समेकित रूप से कुल 07 अनुशासनिक कार्यवाहियों में शासन द्वारा अनन्तिम विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की सहमति उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

7- उपरोक्त विनिश्चित अनन्तिम दण्ड प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-146/07/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 03-03-2015 के माध्यम से अपचारी अधिकारी के विरूद्ध संस्थित सात विभागीय जॉचों में समेकित रूप से प्रस्तावित शास्ति, श्री सिंह के सेवानिवृत्तिक देयकों से रू0-14,38,611.00 (ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि) की एवं शेष रू0-1,15,10,178.00 (रूपये एक करोड़ पन्द्रह लाख दस हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) की वसूली हेतु सक्षम न्यायालय के माध्यम से अपचारी अधिकारी के विरूद्ध सिविल लायवेल्टी के रूप में उक्त शासकीय क्षति की वसूली करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के लिए निदेशक एवं मुख्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किये जाने के अनन्तिम विनिश्चित दण्ड पर आयोग द्वारा अपनी सहमति उपलब्ध करायी गयी है।

8- एतदर्थ, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा समेकित रूप से उपलब्ध करायी गयी उपर्युक्त सहमति के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में हुई शासकीय क्षति के लिए श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्नवत् दण्डित करते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2810/62-3-2010-164आरई/2010, दिनांक 23-11-2010 द्वारा उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के नियम-351-ए के अन्तर्गत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया, सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा विषयगत प्रकरण में पहुंचायी गयी कुल शासकीय क्षति रू0-38,17,548.00 की वसूली उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से करने, यदि यह धनराशि उनके सेवानिवृत्तिक देयकों से वसूल किया जाना सम्भव न हो, तो सक्षम न्यायालय के माध्यम से सिविल लायवेल्टी के रूप में अवशेष शासकीय क्षति की वसूली की जाय।"

श्री राज्यपाल की ओर से,

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-63/2015/2678(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे नियमानुसार अपचारी अधिकारी से उपर्युक्त शासकीय क्षति की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
2- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी।
4- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया।
5- लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-146/07/एडीसी/एस-12/14-15, दिनांक 03-03-2015 के संदर्भ में।
6- श्री रमाकान्त सिंह, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in